

# जयपुर विकास प्राधिकरण

की

बक्सावाला योजना में कमजोर आय वर्ग (EWS)

के लिये निर्मित आवासों का लॉटरी द्वारा

आवंटन

हेतु

आवेदन प्रक्रिया

एवं

नियम व शर्तें

योजना का शुभारम्भ :

01 जनवरी 2017

योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि: 31 जनवरी 2017

लॉटरी की तिथि

22 फरवरी 2017

### -: प्रस्तावना :-

बक्सावाला निर्मित आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सृजित निर्मित आवासीय योजना की श्रृंखला में जयपुर में सृजित विभिन्न आवासीय योजनाओं के प्रति आमजन के उत्साह एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुये कमज़ोर आय वर्ग (EWS) के लिए नियोजित विकसित आवासीय भवन उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम बक्सावाला तहसील सांगानेर में बक्सावाला योजना जो कस्बा सांगानेर से लगभग 5 किलोमीटर वाटिका रोड के मध्य मिलाने करने वाली प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर सड़क पर स्थित है, का शुभारंभ किया जा रहा है।

- ❖ बक्सावाला योजना के 269 आवासों हेतु आवेदन जिविप्रा की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
- ❖ योजनानुसार आवासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं.       | आवास का प्रकार | निर्मित क्षेत्रफल | आवासों की अनुमानित संख्या | अनुमानित कीमत (लाखों में) | पंजीकरण राशि रूपये |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1-             | स्वतंत्र तल    | 30.40 व.मी.       | 111                       | 2.82 Lacs                 | 10000              |
| 2-             | भू-तल          | 22.94 व.मी.       | 80                        | 2.33 Lacs                 |                    |
| 3-             | प्रथम तल       | 22.94 व.मी.       | 32                        | 1.94 Lacs                 |                    |
| 4-             | द्वितीय तल     | 22.94 व.मी.       | 46                        | 1.91 Lacs                 |                    |
| <b>कुल योग</b> |                |                   | <b>269</b>                |                           |                    |

**नोट:-** आवासों की अनुमानित संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। लॉटरी के माध्यम से किसी भी साईंज का आवास आवंटित होने पर किसी भी स्थिति में आवंटित आवास को बदला नहीं जा सकेगा।

### आवेदन की सामान्य शर्तें :-

- ❖ आवेदन एक ही फार्म/रजिस्ट्रेशन नम्बर से ही किया जाना है। आवास आवंटन कराने के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ बक्सावाला योजना में आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क रु. 200/- एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- ❖ योजना के लिए 10,000/- रूपये पंजीकरण राशि देय होगा।
- ❖ पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नगद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- ❖ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-2 पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-2 पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- ❖ योजना के आवासों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अज्ञात कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित आवासों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई आवास आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा आवास के पेटे जमा राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।
- ❖ योजना में उपलब्ध आवासों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जिसकी सूचना जिविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
- ❖ आवेदन फार्म में आवेदक को आधार या भामाशाह कार्ड का नम्बर अंकित करना होगा, यदि आधार/भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में आधार/भामाशाह कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।
- ❖ आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम मोबाइल नम्बर होना अनिवार्य हैं। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह होते हैं जिनकी आय आवेदन करते समय आवेदक की सकल आय में जोड़ी जाती है।
- ❖ आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है की परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ मोबाइल नम्बर की सत्यता की जाँच पूर्ण नहीं होने की दशा में अर्थात् मोबाइल नम्बर स्वयं अथवा पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के नाम नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
- ❖ गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जिविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ❖ असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्ज के NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

- ❖ आवेदक आवेदन पत्र में आवासों के लिए समान मासिक आय एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- ❖ ई-मित्र कियास्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियास्क को पंजीकरण राशि रु. 10,000/- (प्रक्रिया शुल्क रु. 200 के अतिरिक्त) जमा कराने पर ई-मित्र कियास्क को 45/- अतिरिक्त देय होंगे।
- ❖ लॉटरी में एक से अधिक आवास के लिए सफल होने पर सभी आवंटन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- ❖ आवेदन के दौरान आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित करें आवेदनकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही हो तथा चालू स्थिति में हो जिससे असफल आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण राशि सही खाते में जमा हो सकें। गलत/अमान्य होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त सामान्य शर्तों के अतिरिक्त बक्सावाला आवासीय योजना में लॉटरी के माध्यम से आवंटित आवासों के संबंध में शर्ते निम्नप्रकार से रहेगी:-

1. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
2. आवास गृह की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
3. आवास गृह में बिजली एवं पानी का कनेक्शन कब्जा प्राप्त करने के बाद आवंटी स्वयं अपने खर्चे से बिजली व जलदाय विभाग से लगवायेंगे।
4. आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र 1,00,000 के आवादी वाले कस्बा/शहर में कोई आवासीय भूखण्ड/आवास (लीजहोल्ड/फ़ी होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
5. चूंकि उपरोक्त आवास आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर/अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है, अतः किसी भी प्रकार से (सेल, मोर्टगेज आदि) 20 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
6. आवास गृह का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
7. कॉर्नर आवासों के आवंटन होने पर नजराना राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
8. आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
9. आवंटन में प्राप्त आवास केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए आवास को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक आवास को मिलाकर एक बड़ा आवास नहीं बनाया जा सकेगा।
10. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
12. आवंटन पत्र के साथ अप्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजना में आवास आवंटन करने के संबंध में किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
13. प्राधिकरण विना सूचना दिए आवास के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

## **1. आवेदन करने की प्रक्रिया :**

- 1.1 योजना में आवासों के लिए आवेदन जिविप्रा की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 1.2 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित), IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- 1.3 ऑनलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।
- 1.4 ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नगद राशि के माध्यम से किया जा सकेगा। ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र सेवादाता द्वारा लेय राशि निम्न प्रकार होगी :—
  1. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में पंजीकरण राशि रु. 10000 (प्रक्रिया शुल्क रु. 200 अतिरिक्त) होने पर ई-मित्र कियोस्क द्वारा लेय राशि रु. 45/- होगी।

## **2. आवेदन की पात्रता :**

- 2.1 राजस्थान का मूल निवासी।
- 2.2 आवेदक की वित्तीय वर्ष 2015–16 में सकल मासिक आय रूपये 10000/- तक।
- 2.3 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 2.4 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/आवास (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 2.5 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। जो योजना अवधि में चालू रहना चाहिए।
- 2.6 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम/परिवार के सदस्य को से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।
- 2.7 **आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।**

## **3. आवेदक की सकल मासिक आय का विवरण :**

आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2015–16 के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई प्राप्त आय सम्मिलित होगी (ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा)।

## **4. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :**

- 4.1 जिन योजनाओं के लिए आवेदन अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं उनमें उपलब्ध सभी भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

|  |             |           |         |                    |   |                       |
|--|-------------|-----------|---------|--------------------|---|-----------------------|
| राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी * | अनु. जनजाति | अनु. जाति | विकलांग | अधिस्वीकृत पत्रकार | सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)            | अनारक्षित श्रेणी      |
| 10%  | 6%          | 9%        | 3%      | 2%                 | 10%<br>शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)<br>सैनिक विकलांग (ब) | 60%<br>अन्य सैनिक (स) |

\* राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमतिरूप से चनियत कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेसन पर हैं वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

- 4.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवासों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 4.3 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 4.4 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4.5 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 4.6 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- 4.7 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- 4.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक की आवेदन कर सकता है।
- 4.9 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

- 4.10 सैनिक को पूर्व में किसी यूआईटी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 4.11 शहीद सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- 4.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 4.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी. एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- 4.14 विकलांगों (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 3% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

## 5. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

- 5.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
  - जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
  - सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयंपति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
  - आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 5.2 जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

- 5.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- 5.5 आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

## **6. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :**

- 6.1 प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी तिथि से पूर्व एवं बाद में आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करके शेष राशि लौटाई जावेगी।
- 6.2 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी। तथ्य छिपाये जाने का भविष्य में ज्ञात होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

## **7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :**

- 7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित बचत खाता संख्या तथा IFSC Code में हस्तान्तरित की जावेगी। विशेष परिस्थिति में जिन आवेदन की पंजीकरण राशि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा हुई है को उसी क्रेडिट कार्ड में हस्तान्तरित की जा सकती है।
- 7.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## **8. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण :**

- 8.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित आवास निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 8.2 एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 8.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 8.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 8.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
- 8.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 8.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

## **9. अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः :**

- 9.1 आवास 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- 9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही आवास का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- 9.3 चूंकि उपरोक्त आवास गृह गृह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर/अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है, अतः किसी भी प्रकार से (सेल, मोर्टगेज आदि) 20 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
- 9.4 आवास गृह में बिजली एवं पानी का कनेक्शन कब्जा प्राप्त करने के बाद आप स्वयं अपने खर्चे से बिजली व जलदाय विभाग से लगवायेंगे।
- 9.5 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए आवास को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक आवास को मिलाकर एक बड़ा आवास नहीं बनाया जा सकेगा।
- 9.6 प्राधिकरण बिना सूचना दिए आवास के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- 9.7 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- 9.8 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 9.9 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में आवास आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

आयु..... निवासी ....., शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड, आवास अथवा मकान नहीं हैं तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट/आवास मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान/आवास आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

### आय प्रमाण—पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति ..... निवासी.....

.....  
..... तहसील ..... जिला .....

राज्य ..... की स्वंयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रु0.....  
..... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर ..... हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथ  
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।  
गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित  
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

### आय प्रमाण—पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस विभाग में .....  
पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की  
नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रु0 ..... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

विभाग/उपक्रम का नाम

## अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
.....जिला ..... सम्भाग.....  
राज्य ..... जाति के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन  
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।  
हस्ताक्षर  
तहसीलदार  
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

### सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण—पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .....  
..... (रैंक) ..... (नाम) .....  
..... (नम्बर) .....

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये ..... प्रतिमाह हैं।  
(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये ..... प्रतिमाह थी।  
(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री ..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु0 ..... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/  
सक्षम अधिकारी/सचिव,  
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

## शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं .....पुत्र/पति/पुत्री .....  
आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

### **घोषणा**

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....  
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC)अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

## शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।)

कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,

सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## **घोषणा**

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

### विकलांग प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये  
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी  
दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

---

### अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
..... तहसील ..... जिला .....  
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत  
दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति